



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224871
CG-DL-E-02022021-224871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/माघ 12, 1942

No. 52]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 90(अ).—चिलगोजा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2021 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) 1986 तक संशोधित की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का विचार है, को उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. सभी आपत्तियों और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. कोई भी व्यक्ति जो उपर्युक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियों अथवा सुझावों, यदि कोई हैं, तो वह सुझाव विचारार्थ, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को अग्रेषित किया जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का नाम चिलगोजा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2021 है।

2. ये नियम मानव खपत के प्रयोजनार्थ पाइनस पीनिया एल., पी. वल्लिचियाना एवं पी. जिराडियाना से प्राप्त चिलगोजा पर लागू होंगे।

(3) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार चिलगोजा का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो ;

(ग) “प्राधिकार प्रमाण पत्र” से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा चिलगोजा के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है ;

(घ) “साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है ;

(ङ) “श्रेणी अभिधान चिह्न” से नियम 3 में निर्दिष्ट “एगमार्क प्रतीक” अभिप्रेत है ;

(च) “विधिक माप विज्ञान” (पैक की गई वस्तुएं) नियम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011 अभिप्रेत है ; और

(छ) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम एवं नियम में हैं ;

3. श्रेणी अभिधान चिह्न.- श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची-I में यथारूप से दिए गए सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना “एगमार्क प्रतीक” होगा।

4. श्रेणी अभिधान.- चिलगोजा की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची-II के श्रेणी अभिधान हेतु निर्धारित किया गया है।

5. गुणवत्ता :- इन नियमों के प्रयोजन के लिए चिलगोजा की गुणवत्ता अनुसूची-II में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

6. पैकिंग करने की विधि :- (1) चिलगोजा की पैकिंग नए, स्वच्छ कपड़े के थैलों, पॉलीथीन थैलों जिनकी आंतरिक लाइनिंग फूड ग्रेड सामग्री की होगी या बायोडिग्रेडेबल पेकेजिंग सामग्री अथवा फूड ग्रेड के पॉलीथीन या अन्य ऐसी किसी पैकिंग सामग्री में की जाएगी जो सामान्य श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो ;

(2) पैकेजिंग सामग्री कीट और फफूंदी के प्रभाव से मुक्त होगी और इससे उत्पाद में किसी विषाक्त पदार्थ, अवांछित गंध अथवा स्वाद का असर अथवा रंग नहीं आना चाहिए ;

(3) चिलगोजा की पैकिंग विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार पैक आकारों में होगी या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ;

(4) समान लॉट/ बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा ;

(5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का चिलगोजा होगा ;

(6) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके ।

7. चिह्नांकन की विधि.- (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा ;

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) श्रेणी;

(ग) किस्म या ट्रेड नाम (वैकल्पिक) ;

(घ) लॉट संख्या ;

(ङ) पैकिंग की तारीख;

(च) फसल वर्ष (वैकल्पिक);

(छ) शुद्ध भार;

(ज) पैकर का नाम और पता;

(झ) अधिकतम खुदरा मूल्य; (सभी करें सहित)

(ञ)माह....वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम;

(ट) विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम अथवा खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अथवा किसी समय लागू कोई अन्य कानून अथवा इस अधिनियम के प्रावधान के तहत जारी किए किन्हीं अनुदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य विवरण।

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयोग की गई स्याही से चिलगोजा को संदूषित न करें ।

(4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा इस निमित्त उसके ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें: - (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा ;

(2) चिलगोजा की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्य प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन सामान्य श्रेणीकरण चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 9 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो ;

(3) प्राधिकृत पैकर के परिसरों को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं में रखा जाएगा और इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(4) प्राधिकृत पैकर के परिसरों में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृतकों और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होगा।

(5) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए हों।

अनुसूची-I

(नियम 3 देखें)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)



वस्तु का नाम.....

श्रेणी.....

अनुसूची -II

(नियम 4 और 5 देखें)

चिलगोजा का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता:

1. चिलगोजा मानव खपत के प्रयोजनार्थ पाइनस पीनिया एल., पी.वल्लिचियाना एवं पी जिराडियाना से प्राप्त किया जाएगा।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं : (i) चिलगोजा-

(क) साबुत, टूटफूट से रहित, ठोस, पर्याप्त रूप से शुष्क किया हुआ और अच्छी बनावट वाला होगा;

- (ख) आकार, आकृति, रंग और दशा की दृष्टि से एक समान होगा;
- (ग) लंबा, पतला और भुरे रंग का होगा;
- (घ) पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक सुगंध सहित चिलगोजा के विशेष गुण से युक्त होगा;
- (ङ) कृत्रिम रंजक और पोलिशिंग पदार्थों, कृत्रिम सुगंध और किसी भी तरह के अन्य रसायनों से मुक्त होगा;
- (च) किसी तरह की दुर्गन्ध और बासीपन से रहित होगा;
- (छ) कृतक के बालों, विष्टा, गंदगी, जीवित कीटों, मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, कुटकी या किसी वस्तु के अवशेषों और फफूंदी से मुक्त होगा;
- (ज) किसी भी तरह के नाशीजीवों, चाहे वे विकसित होने की किसी भी अवस्था में हो, से मुक्त होगा;
- (झ) किसी भी रालयुक्त पदार्थ से मुक्त होगा।

(ii) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीटनाशी जीवों और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीवविष और अपशिष्ट) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन बनाए घरेलू व्यापार हेतु अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी;

(iii) निर्यात के मामले में यह भारी धातुओं, कीटनाशक जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों निर्यात व्यापार के लिए या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

3. चिलगोजा के श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड;

तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की अधिकतम सीमा (मात्रा द्वारा प्रतिशत)							निष्कर्षित तेल का अम्ल मान (अधिकतम)	गिरी की संख्या/ 100 ग्रा. (न्यूनतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		कीट से क्षतिग्रस्त बीज	क्षतिग्रस्त	मुरझाया एवं अपरिपक्व	शुष्क भार आधार पर तेल की मात्रा		
		कार्बनिक	अकार्बनिक						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विशेष	6.0	शून्य	शून्य	शून्य	4.0	2.0	45.0	2.5	300
मानक	7.0	0.1	0.1	1.0	6.0	3.0	30.0	4.0	350

स्पष्टीकरण – इस तालिका के प्रयोजनों के लिए-

- (क) विजातीय पदार्थ में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ शामिल हैं- कार्बनिक पदार्थ में पौधे के तने, छिलकों के टुकड़े, रेशे, पिट्स आदि शामिल हैं तथा अकार्बनिक पदार्थ में धूलकण, कंकड़, पत्थर, मिट्टी और कीचड़, मिट्टी के ढेले आदि शामिल होंगे, और,
- (ख) “कीट से क्षतिग्रस्त” का आशय ऐसे चिलगोजे से है जो जीवित कीटों, चाहे वे विकसित होने की किसी भी अवस्था में हों, द्वारा क्षतिग्रस्त किए हुए होते हैं,

(ग) “क्षतिग्रस्त” से आशय है जो अत्यधिक गर्मी के कारण क्षतिग्रस्त जिससे चिलगोजे का स्वाद, बनावट और खाद्य गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा सूर्य की झुलसन और यांत्रिक चोट के कारण पड़े दाग आदि,

(घ) “मुरझाए और अपरिपक्व” ऐसे चिलगोजे से आशय है जो अत्यधिक चपटे, झुर्रीदार और शुष्क होते हैं जिनके कारण चिलगोजे का 20 प्रतिशत से अधिक भाग प्रभावित हो जाता है।

4. अन्य अपेक्षाएँ.- (i) चिलगोजे की स्थिति ऐसी होगी कि वह -

(क) यातायात और हैंडलिंग आदि की स्थिति का सामना सके;

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) चिलगोजे का भंडारण सामान्य तापमान पर शुष्क और स्वास्थ्यपरक दशा में किया जाएगा।

(iii) ये मानक ऐसे चिलगोजा पर लागू नहीं होते हैं जिन्हें लवणीकरण, मिश्रिकरण द्वारा अथवा विशेष स्वाद के लिए किसी वस्तु को मिलाकर संशोधित किया जाता है।

[फा. सं. क्यू-11047/10/चिलगोजा/2019-मानक]

प्रसान्त कुमार स्वाई, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

G.S.R. 90(E).—The following draft of the Pine nut Grading and Marking Rules, 2021 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

2. Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the above said period shall be taken into consideration by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, in respect of the said draft rules, may forward to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001.

DRAFT RULES

1. Short title, application and commencement. - (1) These rules shall be called the Pine nut Grading and Marking Rules, 2021.

(2) They shall apply to Pine nut obtained from *Pinus pinea* L., *P. wallichiana* and *P. gerardiana* intended for human consumption.

(3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

- (b) "Authorized packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorization to grade and mark the Pine nut in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;
- (c) "Certificate of Authorization" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorizing a person or a body of persons to grade and mark Pine nut with the grade designation mark;
- (d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
- (e) "Grade designation mark" means "Agmark insignia" referred to in rule 3 ;
- (f) "Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and
- (g) "Schedule" means a schedule appended to these rules.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meaning as are assigned to them under the Act.

3. Grade designation mark. - The grade designation mark shall consist of "AGMARK Insignia" as set out in schedule-I incorporating the certificate of authorization number, the word "AGMARK", name of the commodity and grade.

4. Grade designations. - The grade designations to indicate the quality of Pine nut including the criteria for grade designation shall be set out in schedule-II.

5. Quality. - For the purpose of these rules, the quality of Pine nut shall be as given in Schedule- II.

6. Method of packing. - (1) Pine nut shall be packed in paper bags or cloth bags or poly woven bags with inner lining of food grade material or any bio-degradable packaging materials or poly packs of food grade material or any other packaging material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorized by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) The packaging material shall be free from insect and fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(3) Pine nut shall be packed in pack sizes either in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or as allowed by the Agricultural Marketing Adviser under rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Pine nut of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.

7. Method of Marking. - (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorized by him under Rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-

- (a) name of the commodity;
- (b) grade;
- (c) variety or trade name (optional);
- (d) lot number;
- (e) date of packing;
- (f) crop year (optional);

- (g) net weight;
- (h) name and address of the authorized packer;
- (i) maximum retail price (inclusive of all taxes);
- (j) BEST BEFORE _____ MONTH _____ YEAR;
- (k) any other particulars as may be specified under Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or under Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 or any other law for the time being in force or any instructions issued under provisions of the Act.

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Pine nut

(4) The authorized packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him under Rules 11 of General Grading & Marking Rules mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of Certificate of Authorization. - (1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorized packer shall follow all instructions issued under the provisions of the Act.

(2) The authorized packer shall either set up his own laboratory as per prescribed norms or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorized by him under rule 9 of the General Grading and Marking Rules, for testing the quality of Pine nut.

(3) The premises of authorized packer shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises of the authorized packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.

(5) The authorized packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued under the provisions of the Act.

Schedule I

(See rule 3)

(Design of Agmark Insignia)



Name of commodity-----

Grade-----

Schedule II

(See rules 4 and 5)

Grade Designation and Quality of Pine nut

1. Pine nut shall be obtained from mature fruits of *Pinus pinea* L., *P. wallichiana* and *P. gerardiana*.
2. Minimum requirement:

(i) Pine nut shall. –

- (a) be whole, intact, sound, well dried, well formed;
- (b) have uniform size, shape, color and condition;
- (c) be long, slender, brown in color; possess marked degrees of natural fragrance, characteristic of Pine nut;
- (d) be free from artificial coloring, polishing agents, artificial fragrances and any other chemicals;
- (e) be free from obnoxious smell and mustiness;
- (f) be free from rodent hair and excreta, filth, moulds, live insects, dead insects, insect fragments, mites, debris or excreta and fungus;
- (g) be free from any pest, whatever their stage of development;
- (h) be free from resinous materials.

(ii) for domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made for domestic trade under Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

(iii) for export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirements for exports.

3. Criteria for grade designation of Pine nut:

Table

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by mass)]								Number of Kernel/ 100gm (Minimum)
	Moisture	Foreign matter		Insect Damaged	Damaged	Shriveled & Immature	Oil content on dry weight basis	Acid Value of the extracted Oil (Maximum)	
		Organic	Inorganic						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	6.0	Nil	Nil	Nil	4.0	2.0	45.0	2.5	300
Standard	7.0	0.1	0.1	1.0	6.0	3.0	30.0	4.0	350

Explanations: for the purposes of this table,-

- (a) “Foreign matter”- includes organic and inorganic matter, organic matter includes stalk, pieces of shell, pits, fiber, peel and inorganic matter shall be dirt, pebble, stone, clay and mud, lumps of earth;
- (b) “Insect damaged” means pine nut damaged by living pests, whatever their stage of development;
- (c) “Damaged” means that nut damage caused by excessive heat that affects the flavor appearance or edibility of the nut, sunburn, scars by mechanical injury;
- (d) “Shriveled and Immature” nut means that nuts are extremely flat and wrinkled or with desiccated, dried out portion affecting more than 20 percent of the nut.

4. Other requirements:-

- (i) The condition of Pine nut shall be such so as to enable it to –
 - (a) withstand transport and handling; and

- (b) arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (ii) Pine nut shall be stored in dry & hygienic place at normal room temperature.
- (iii) These standard does not apply to pine nut that are processed by salting, sugaring and flavoring.

[F. No. Q-11047/10/Chilgoza/2019-Std]

PRASANTA KUMAR SWAIN, (Marketing) Jt. Secy.